संख्या–381/एक–11–2022

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2022

विषयः– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं में राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बाढ़ से प्रभावित जनपदों द्वारा बाढ़ के दौरान प्रायः नाव एवं नाविकों की सेवाएं प्राप्त की जाती है। बाढ़ के दौरान जनपदों द्वारा जो नावें किराए पर ली जाती है, उनके किराए तथा नाविकों की मजदूरी का भुगतान बाढ़ मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से नही किया जाता है अपितु अलग से धनराशि की मांग की जाती है जिसके कारण नाव के किराए तथा नाविकों की मजदूरी का भुगतान किए जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं में अलग–अलग आपदावार धनराशि की मांग की जाती है जबकि राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी आपदाओं के लिये धनराशि मद संख्या–9 में ही आवंटित की जाती है। जनपदों द्वारा राहत कैम्पों के संचालन, मकान क्षति अनुदान वितरण तथा अन्य अनुमन्य राहत कार्यों के लिये भी अलग–अलग धनराशि की मांग की जाती है।

2– राज्य आपदा मोचक निधि से जनपदों को आपदा राहत कार्यों हेतु आपदावार निम्नलिखित मदों में धनराशि आवंटित की जाती है:–

क0सं0	आपदा का नाम	मद संख्या
1	सूखा राहत	2245-05-800-06-01
2	बाढ़ राहत	2245-05-800-06-02
3	चक्रवात राहत	2245-05-800-06-03
4	भूकम्प राहत	2245-05-800-06-04
5	ओलावृष्टि राहत	2245-05-800-06-05
6	बादल फटने पर राहत	2245-05-800-06-06
7	अग्निकाण्ड से राहत	2245-05-800-06-07
8	शीतलहरी/पाला से राहत	2245-05-800-06-08
9	राज्य द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु	2245-05-800-06-09

3– राज्य आपदा मोचक निधि से आवंटित धनराशि को अधिसूचित आपदाओं के लिये भारत सरकार के पत्र संख्या–32–7/2014–एनडीएमए–1 दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार निम्नलिखित बचाव एवं राहत कार्यो हेतु व्यय किया जाता है:–

1) मृतकों के परिवार को अहैतुक सहायता
2) मकान क्षति हेतु अनुदान
3) पशु क्षति हेतु अनुदान
4) आपदा के कारण अंग/आँखों की विकलांगता के लिए अहैतुक सहायता
5) गम्भीर चोट जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े हेतु सहायता
6) बर्तन/घरेलू सामग्री हेतु सहायता
7) जिन परिवारों की आजीविका आपदा के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित हुयी हो, हेतु सहायता
8) खोज एवं बचाव कार्यों में हुआ व्यय(वास्तविक व्यय के अनुसार)
9) नाव/नाविक किराया
10) राहत कैम्पों की व्यवस्था में हुआ व्यय (अस्थाई रहने की व्यवस्था, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था)
11) आवश्यक वस्तुओं की एअरड्रापिंग में हुआ व्यय
12) पेयजल की आपात आपूर्ति
13) सार्वजनिक स्थलों में मलबे का निस्तारण
14) बाढ़ के पानी की निकासी
15) शवों का निस्तारण
16) कृषि निवेश अनुदान
17) भूमि तथा अन्य नुकसान हेतु सहायता
18) पशु कैम्पों में चारा पानी की व्यवस्था
19) चारे की ढुलाई
20) मत्स्य पालकों को सहायता
21) हस्तशिल्प हेतु दस्तकारों को सहायता

4– उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित बचाव एवं राहत कार्यो हेतु अलग–अलग धनराशि की मांग न करके संबंधित आपदा के लेखाशीर्षक में प्राप्त बजट को ही उस आपदा से संबंधित समस्त बचाव व राहत कार्यों में प्रयोग किया जायेगा। उदाहरण के लिए नाव का किराया तथा नाविकों की मजदूरी का भुगतान बाढ़ मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से ही किया जायेगा, इसके लिए अलग से धनराशि मांगने का कोई औचित्य नहीं है। जनपदों की उक्त समस्या के निराकरण हेतु शासन स्तर से यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित आपदा के लेखाशीर्षक में प्राप्त बजट को ही उस आपदा से संबंधित समस्त बचाव व राहत कार्यों में प्रयोग किया जायेगा।

5– उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में किये जाने वाले बचाव एवं राहत कार्यों हेतु मद संख्या–09 से धनराशि का आंवटन किया जाता है। कई बार जनपद राज्य द्वारा घोषित आपदाओं के लिए अलग–अलग धनराशि की मांग करते है। इस

संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समस्त आपदाओं की स्थिति में सभी प्रकार के बचाव एवं राहत कार्यो हेतु **"लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 05 स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड, 800 अन्य व्यय, 06 स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय, 09 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय"** में आवंटित बजट से ही व्यय किया जायेगा। यदि उपरोक्त मद संख्या–09 में धनराशि उपलब्ध है तो राज्य द्वारा घोषित आपदाओं के लिए अलग–अलग धनराशि की मांग किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभी जनपद प्रत्येक माह में आपदावार व्यय की गयी धनराशि का विवरण अगले माह की 05 तारीख तक राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर अनिवार्य रूप से फीड करेंगे और धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः– 381 (1)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।